मिलीभगत से हुआ एसआरएस के अनिल जिन्दल.....

पेज एक का शेष

H.P.I.D.F.E. Act की धारा 3 के तहत चलाये गए मुकदमों में आरोपियों को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक कि वह अपने धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य, गबन, फ्रॉड, जालसाजी अथवा आपराधिक षडयन्त्र के तहत प्राप्त रकम के बराबर की सिक्योरिटी अदालत में जमा नहीं करा देते. इस कानूनी प्रावधान के चलते आरोपियों को जमानत मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. किन्तु फिर भी आश्चर्य हुआ जब उनके वकील ने 22 जनवरी 2019 को एक मुकदमे (एफआईआर 111) में आरोपी बिशन बंसल की तरफ से और एक अन्य मुकदमे (एफआईआर 113) में आरोपी नानक चन्द तायल की तरफ से जमानत की अर्जियां लगायीं और उल्लेखनीय बात है कि उक्त अर्जियों के जवाब में सरकार / अभियोजन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध या कोई लिखित उत्तर अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया. उससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब 28 जनवरी 2019 को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को एक सामान्य शर्त के साथ जमानत के आदेश भी दे दिए गए.

आदेश में न्यायाधीश महोदय ने लिखा है कि सरकार की तरफ से पेश सरकारी वकील द्वारा उन्हें बताया गया है कि आरोपी बिशन बंसल / नानक चन्द तायल और उनके साथी अन्य आरोपियों के विरुद्ध चल रहे विभिन्न मुकदमों के अनुसार, जिसमें विभिन्न निचली अदालतों में चल रहे पुलिस केस भी सम्मिलित हैं, उक्त आरोपियों के द्वारा फ्रॉड / गबन की गयी रकम का योग कुल मिला कर 85 करोड़ रुपए है और इसमें वह सभी शिकायतें सम्मिलित नहीं हैं जो बहुत बड़ी संख्या में हैं किन्तु जिनमें अभी भी जाँच की प्रक्रिया चल रही है. अपने आदेश में न्यायाधीश महोदय ने आगे लिखा है, मुकदमों के गुण/दोष के आधार पर टिप्पणी न करते हुए वह इस विचार के हैं कि अगर याचिकाकर्ता आरोपी अपने अन्य आरोपी साथियों के साथ मिलकर फ्रॉड की गयी राशि के बराबर सुरक्षा राशि के दस्तावेज प्रस्तुत करें तभी विभिन्न शिकायतकर्ताओं / निवेशकों के हित सुरक्षित रह सकते हैं. अत: 100 करोड़ रुपए के बराबर की अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों का विवरण और कागजात प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता को जमानत प्रदान की जाती है.

न्यायाधीश महोदय यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे अपने उसी आदेश में यह भी लिखा है कि याचिकाकर्ता को इस प्रकार से दी गयी जमानत न केवल उस मुकदमे के तहत होगी जिसमे जमानत मांगी गयी है बल्कि उन अन्य सभी मुकदमों में भी दी गयी मानी जाएगी जो उक्त आरोपी के विरुद्ध उनकी अदालत में विचाराधीन हैं. आरोपियों के साथ न्यायाधीश की सहानुभूति की इंतहा अभी बाकी थी. अपने उक्त आदेश को और विस्तार देते हुए न्यायाधीश महोदय ने आदेश में यह भी जोड़ा कि जमानत का यह आदेश न केवल याचिकाकर्ता आरोपी पर लागू होगा बल्कि उक्त आरोपी के साथी अन्य आरोपीगण अनिल जिन्दल तथा राजेश सिंगला और उनकी समस्त कम्पनियों पर भी लागू होगा, भले ही किसी ने जमानत के लिए आवेदन किया हो अथवा नहीं. और इस प्रकार से सभी को दी गयी जमानत उन सभी मुकदमों में दी गयी मानी जाएगी जो उन सभी के विरुद्ध उनकी अदालत में विचाराधीन हैं.

उक्त आदेश के बाद आरोपी के वकील ने एक अर्धनिर्मित रिहायशी प्रोजेक्ट से सम्बंधित कागजात अदालत में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये. पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा करायी गयी जाँच से पता चला कि उक्त सम्पूर्ण प्रोजेक्ट पहले से ही बैंक आदि के पास रहन / गिरवी रखा हुआ है तथा उस पर कर्ज के लगभग 137 करोड़ रुपए बकाया हैं. इस तथ्य को आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अदालत में भी प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु फिर भी न्यायाधीश मल्होत्रा आरोपियों को जमानत प्रदान करने के लिए अधीर रहे हैं.

फरीदाबाद जिले के निवासियों को यह जानकर कितना आश्चर्य हो रहा होगा कि उनके जिले में एक ऐसा न्यायाधीश भी है जिसके अन्दर एक ऐसे दिल का निवास है जो गरीब जनता, बैंकों और सरकारी विभागों के हजारों करोड़ रुपए आसानी से और षडयन्त्रपूर्वक डकार जाने वाले आरोपियों के प्रति भी इतना द्रवित हो जाता है कि वह एक तो उस याचिकाकर्ता आरोपी को उन मुकदमों में भी जमानत दे देता है जिनमें आरोपी ने जमानत मांगी ही नहीं. दूसरा, याचिकाकर्ता आरोपी के उन अन्य साथियों और कम्पनियों को भी आराम से घर बैठे बिठाये जमानत प्रदान कर देता है जिन्होंने अभी तक जमानत के लिए न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया. और तीसरा, उक्त सम्पत्ति के कागजातों को भी सुरक्षा राशि के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, जिस पर प्रस्तुत कागजातों के अनुसार लगभग 137 करोड़ रुपए बैंकों आदि का बकाया है.

अब जरा इसकी तुलना ब्रिटिश जेल में बंद, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के चहेते हजारों करोड़ रुपये लेकर फरार हुए नीरव मोदी के हश्र से कीजिये. उसे वहां की अदालत इस लिए जमानत नहीं दे रही कि उसने बड़ी रकम झटक रखी है और उसके फरार होने का पूरा खतरा है. यही हाल तो अनिल जिंदल एंड कंपनी का भी है. लेकिन यहाँ तो एक भारतीय जज की कृपा है उन पर. इस जज को निवेशकों और बैंकों की कोई परवाह नहीं.

न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा को जानने वालों का कहना है कि ये महोदय आरोपियों के प्रति इतने नर्म दिल क्यों न हों जब उन्हें पता है कि अगले सप्ताह ही उनका फरीदाबाद से स्थानान्तरण होने जा रहा है और स्थानान्तरित होने वाली हर जगह पर तो एसआरएस ग्रुप द्वारा किये गये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला और इतने महान दानी घोटालेबाज मिलते नहीं. ऐसे में बहती हुई गंगा में हाथ धोने में ही फायदा है. बेचारे गरीब और लुटे पिटे निवेशक और जमाकर्ता जो पहले ही अपना सब कुछ अनिल जिन्दल और उसके गिरोह के हवाले कर चुके हैं वह तो इस स्थिति में हैं नहीं कि अदालतों पर लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत और अन्य रूप में खर्च कर सकें. यही है मोदी राज की ईमानदार व पारदर्शी सरकार, उसका प्रशासन और उसकी न्याय व्यवस्था.

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्क़त हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

'संघ के चंगुल में फंसे रहने पर मिलेगी गरीबी, भूख और दंगा'

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मजदूर मोर्चा के 31-06 अप्रैल 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। समझौता एक्सप्रेस धमाके को लेकर हरियाणा के पूर्व आईपीएस अधिकारी विकास नारायण राय की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल एसआईटी की जांच के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व अन्य अतिवादी हिन्दू समूहों के इस घटना में लिप्त होने के पुख्ता प्रमाण मिले थे। उन आरोपियों में स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, लोकेश शर्मा, कमल चैहान, राजेन्द्र चैधरी आदि प्रमुख थें एनआईए की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने तलख टिप्पणियां करते हुए सूबतों के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया, जिसका 'जेटली को आईना दिखाने के लिए काफी है समझौता ब्लास्ट फैसले में जज की टिप्पणी तथा 'जलती ट्रेन के फैसले से उठते हैं सुलगते मुद्दे' में खुलासा किया गया है।

जज ने अपने फैसले में विशेष टिप्पणी की थी कि अभियोजन ने महत्वपूर्ण कारगर साक्ष्यों को रोक दिया था और उनको रिकार्ड पर नहीं लाया गया और अभियोजन की तरफ से पेश सबूतों में बहुत झोल था, जिससे भरोसेमंद और स्वीकार्य सुबूत न होने के कारण बेरहमी से की गई नीयतपूर्ण हिंसा में किसी को सजा नहीं मिल पाई। यह टिप्पणी अपने आप में सब कुछ बयान कर रही थी। फैसले की कॉपी सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व मोदी सरकार चौकन्नी हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली व अन्य भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए 'हिन्दू आंतकवाद' की फर्जी थ्योरी गढ़ी थी और फर्जी सुबूतों के आधार पर बेगुनाह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए तथा कांग्रेस पर हिन्दुओं को आंतकवादी बताने का आरोप लगाया और चुनाव के मद्देनजर हिन्दुत्व का कार्ड खेलते हुए साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने का अभियान शुरू कर दिया।

गौरतलब है कि फैसले में जांच एजेंसी के साक्ष्यों की अनदेखी को लेकर की गई कई टिप्पणियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष शाह, जेटली आदि नेताओं के बयान बेमानी व खोखले साबित हो रहे हैं।

भाजपा समेत पूरा संघ परिवार, प्रधानमंत्री मोदी व मोदी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने और सरकार के पांच साल के कार्यकाल में कोई घोटाला न होने के खोखले दावे करते रहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार व घोटालों की भरमार रही है। 'पांच साल और 15 घोटाले' में मोदी सरकार के समय में हुए 15 घोटालों का भांडाफोड़ किया गया है। इनके अतिरिक्त एसएससी भर्ती घोटाला भी बहुत बड़ा है जिस पर पर्दा डाले रखने के लिए मोदी सरकार ने संघी लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) व लीगल बॉडी के एतराज के बावजूद गुजरात कैडर के अधिकारी एसएससी चेयरमैन असीम खुराना को अधिकतम आयु 62 वर्ष पार करने के बाद भी सेवा विस्तार दे दिया। इन घोटालों में शक की सुई सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक जाती है इसलिए इन घोटालों की एक स्वतंत्र व निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाने की आवश्यकता है।

अगस्त 2008 में इसरो द्वारा श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से चन्द्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बधाई दी और देश से संवाद करने का काम वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया तथा 19 अप्रैल 2012 को भारत ने लो-ऑरबिट में उपग्रह को मारने वाली मिसाईल अग्नि-वी का सफल परीक्षण करने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री के बजाए डीआरडीओ के निदेशक जश्न मनाते दिखाई दिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसरो व डीआरडीओ की कामयाबी को अपने चुनावी पोस्ट में कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस परपंरा के विरुद्ध इसरो व डीआरडीओ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का केन्द्र बन गए हैं तथा वैज्ञानिकों की कामयाबी प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी बन गई है, जिसका 'वैज्ञानिक कथाकार नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को सम्बोधन' में सटीक विश्लेषण किया गया है। गौरतलब है कि 28 मार्च 2019 को डीआरडीओ द्वारा अंतरिक्ष में सक्रिय सैटलाइट को सफलतापूर्वक मिसाइल से नष्ट करने पर मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत पर चुनाव आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जो मोदी के सामने चुनाव आयोग की विवशता को प्रकट करता है।

संघ परिकर, भाजपा तथा पूरी इलैक्ट्रानिक, प्रिंट व सोशल मीडिया द्वारा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध लगातार प्रचार किया जा रहा है कि छप्पन इंच वाले तथा तुरन्त निर्णय लेने वाले महानायक नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, जिसकी 'मुसोलिनी से प्रेरित संघ परिवार को संविधान से क्या लेना देना' में बेबाक समीक्षा की गई हैं। स्मरण रहे कि आरएसएस व भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संविधान में मनमाफिक संशोधन करने का असफल प्रयास किया था। अब संघ परिवार व मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक व्यवस्थाओं की जान बूझकर अनदेखी की जा रही है। ध्यान देने योग्य है कि भाजपा नेताओं द्वारा वर्तमान लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा है कि इस बार मोदीजी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद आगे चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी।

'संघ के चंगुल में फंसे रहने पर मिलेगी गरीबी, भूख और दंगा' में आर.एस.एस. के वास्तविक मसकद का खुलासा किया गया है और देश के नौजवानों को अपनी बदहाली बदलने के लिए भारत की राजनीति को जनता के असली मुद्दों पर चलाने के लिए आवश्यक बताया है।

चुनाव आते ही राजनीतिक दलों में मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वायदे करने की होड़ लग जाती है और अपने-अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी लुभावने मुद्दों का समावेश कर देते हैं। लेकिन सरकार बन जाने के बाद उस चुनावी घोषणा पत्र को कूड़े के ढेर में फैंक दिया जाता है। अगले चुनाव में पिछले वादों की कोई बात नहीं की जाती जैसी मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए अपने वायदों की कोई चर्चा नहीं करते। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 करोड़ अति गरीब परिवारों की न्यूनतम आय 12000 रुपए मासिक करने की घोषणा की है, जिसकी 'चुनावी वायदे की कोई सजा नहीं, इसलिए राहुल गांधी भी उतरे मोदी के मुकाबले में' विवेचना की गई है।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश भर में सरकार व प्रशासन से अनेक सुविधाएं लेकर भाजपा के आलीशान कार्यालय भवन बन जाने का दौर चल रहा है। जिस ठेकेदार को रोहतक में रेलवे के काम का ठेका मिला है वही ठेकेदार रोहतक में हरियाणा भाजपा का सौ करोड़ रुपए मूल्य का छह मंजिला कार्यालय बनवा रहा है, जिसका 'ठेका मिलने के बदले ठेकेदार बनवा रहा है हरियाणा भाजपा का दफतर रोहतक में जिस कम्पनी को रेलवे के काम का ठेका मिला है, वही दफ्तर बनवा रहा है, में उजागर किया गया है। इससे भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के ईमानदार व भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे पर सवालिया निशान लगता है।

पाकिस्तान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को संदेश भेजने पर 'मोटा भाई हमने तो गुप्त लैटर लिखा था, फिर ये लीक कैसे हो गया ?- उस इमरान के मुंह में कीड़े पड़ेगे जिसने हमारी पोल खोली', नेताओं द्वारा धुंआधार चुनावी प्रचार करने पर 'लो कानो में रुई ठूंस लो नेता आते ही होंगे' प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में मतदाताओं को पैसे से खरीदने का आरोप लगने पर 'गलत आरोप है।' मतदाताओं को बांटने लिए पैसे बचे कहां है ? सारे तो टिकट खरीदेन में ही लग गए.....' राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने पर 'तुम्हारी सारी इच्छाएं इसमें है, तुम पांच साल इसे पढ़ने में व्यस्त रहना और हम सरकार चलाने में, मोदीजी द्वारा चुनावी रैली में धुआंधार भाषणा देने यह 'चलो भाई, वापस चलो आगे मोदी भाषणा दे रहा है', मोदीजी द्वारा ''मैं भी चैकीदार'' अभियान चलाने पर ''चैकीदार-चायवाला-कुछ नहीं, प्रधानमंत्री रंग बदल रहे हैं' तथा मोदीजी द्वारा प्रयाग राज में संगम में दलितों के पैर धोने पर 'दो करोड़ नौकरियां दे देते तो पांव नहीं धोने पड़ते - बिल्कुल सच कहा है गडकरी जी आपने।' कार्टूनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी व चुनावी राजनीति पर उपयुक्त तंज कसा गया है।

पृथला से विधायक टेकचंद शर्मा की महिला मित्र की खबर छपने से बदनामी होने की शिकायत पर फरीदाबाद जिले के तीन वरिष्ठ पत्रकारों को राजनीतिक दबाव के तहत फरीदाबाद पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था। पीड़ित पत्रकारों की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। 'पत्रकारों की अवैध गिरफ्तारी पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी, कमिश्नर पुलिस सहित कई पुलिस अधिकारियों को होईकोर्ट का अवमानना नोटिस- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना पर पत्रकारों की गिरफ्तारी करना महंगा पड़ा पुलिस अधिकारियों को, में पुलिस व नेताओं की सांठ गांठ का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।